उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-84/2020/एस-2-3016/दस-2020-88क(2)/2017
लखनऊ :: दिनाँक: 10 दिसम्बर, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री पूर्ण देव उपाध्याय, वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	वित्त अधिकारी, पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थान, गौतमबुद्धनगर।
2	श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, लखनऊ।
3	श्री हौसिला प्रसाद वर्मा, वित्त नियंत्रक, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।	वित्त अधिकारी, उ0प्र0 गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्या कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-84/2020-एस-2-3016(1)/दस-2020,तददिनाँक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/राजस्व/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- कुलपति, उ0प्र0 गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
5- निदेशक, पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थान, गौतमबुद्धनगर।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

9- मुख्य कोषाधिकारी, (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन),लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

10- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।